न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 61/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/285)

निर्णय दिनांकः– 10-01-2025

1. श्रीमती भगवानी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानरे।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रामूराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ
दिनांक 05–07–2022

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री हरीशचन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के आदेश दिनांक 05–07–2022 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् ने अपने खातेदारी भूमि तहसील श्रीडूंगरगढ के ग्राम जैतासर के खेत खसरा नम्बर 78 तादादी 4.62 हेक्टर भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट के दक्षिणी तरफ चीपता खेत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 79 तादादी 4.25 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता प्रदान करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश प्रदान किया है। प्रकरण में अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पुराने प्रचलित मार्ग जो खसरा संख्या 79 के उत्तरी सीमा के समानान्तर जाकर धोलिया से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक से मिलता है, से करते आये है। उक्त रास्ता कटानी नहीं होने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रचलित रास्ते को कीमतन राजस्व रिकोर्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया गया था। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चिपते खसरा संख्या 77 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी पत्नी के नाम से खरीद कर लिया है तथा खसरा संख्या 77 व 79 की सीमा समाप्त करते हुए दोनों खेतों को एकल कर लिया है जिससे अपीलांट द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे प्रचलित रास्ते को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तारबंदी करते हुए बंद कर दिया है। अपीलांट को अपने खातेदारी कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय से मौके की रिपोर्ट चाही गई जिसमें तहसीलदार महोदय ने अपनी रिपोर्ट

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा संख्या 78 में आवागमन हेतु श्रीडूंगरगढ से धोलिया जाने वाली पक्की सडक में से रास्ता दिया जाना सुविधा जनक है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का गौर किये बिना ही अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिक भूल है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व किये जाने वाली कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ ने अपनी आदेशिका में कहीं भी मौका निरीक्षण एवं बयान हेतु आदेश प्रदान नहीं किया गया है इसके बावजूद भी आईएलआर द्वारा मौके पर जाकर बयान लिये गये। उक्त बयान शपथ पत्र पर नहीं लिये जाने के कारण मान्य नहीं है साथ ही तहसीलदार महोदय ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर बयान लिये गये जिसमें भिन्नता पाई गई। कुछ पड़सियों का मानना है कि अपीलांट अपनी भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 152 से आ रहे प्रचलित मार्ग का उपयोग करती थी एवं कुछ पडौसियों के अनुसार अपीलांट आवागमन हेतु खसरा संख्या 79 की सीमा के समानान्तर चले आ रहे रास्ते का उपभोग करती थी। ऐसे में विरोधाभासी बयान होने से बयान स्वीकार योग्य नहीं है। मौके पर ना तो तहसीलदार महोदय ने स्वयं उपस्थित होते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की है ना ही मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित है। मौका रिपोर्ट के साथ में फर्द मौका एवं नजरी नक्शा भी सलंग्न नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट अमान्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में मौका रिपोर्ट एवं बयान को मुख्य आधार लिया है जो अपने आप में अपूर्ण है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश विधि विरूद्व व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रदान किये गये है।

चूंकि अपीलांट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अत्यांतिक आवश्यकता होने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई एवं अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018–19 सप पेज 404, आरबीजे 2017 पेज 386, आरएलडब्लयू 2016 पार्ट। आरजे पेज 490, आरबीजे 2016 पेज 539, आरआरटी 2016 पार्ट।। पेज 1281, आरआरटी 2019 पार्ट। पेज 403, आरआरडी 1972 पेज 152, आरआरटी 2021 पार्ट।। पेज 1264 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि खसरा नम्बर 79 में पहले से चालू रास्ता था और उसे बंद कर दिया गया था तो अपीलांट को धारा 251 आरटीए के तहत तहसीलदार के समक्ष पेश होना था। अपीलांट को अपनी भूमि पर आवागमन हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं धारा 251 ए आरटीए के तहत नया रास्ता स्वीकृत तभी किया जायेगा जब प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पक्की सडक बन गई है एवं सभी काश्तकार सडक से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खातेदारी खेत कई टुकडो में विभाजित हो जायेगा। सडक से चाहा गया रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का ना होकर सुविधाजनक होने की श्रेणी में आता है एवं धारा 251 ए आरटीए में यह स्पष्ट किया गया है कि नया रास्ता सुविधा के लिए प्रदान नहीं किया जायेगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थी पूर्व से ही अपनी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 152 से गुजर रहे प्रचलित रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में खसरा संख्या 152 से गुजर रहे प्रचलित मार्ग को कटानी रास्ते के रूप में स्वीकृत कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगवाये जाने पर तहसीलदार महोदय स्वयं मौके पर उपस्थित आये एवं मौके पर मौजूद लोगों से अपीलांट के आवागमन हेतु बयान लिये गये जिस पर बयान देने वाले पडौसियों के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 78 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 152 के प्रचलित रास्ते से फंटकर पश्चिम तरफ प्रार्थी के खेत की पूर्वी सीमा नजदीक दर्शित है। ऐसे में जब प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से एवं नजदीकतम होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट/प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर खारिज किया गया। इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट के पास अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता है, प्रार्थी केवल अपनी सुविधा के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत से रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से खारिज किया है।

हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ ने विचाराधीन प्रकरण में बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को लिखा गया जिसके अनुसरण में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने आईएलआर एवं पटवारी हल्का को संबंधित रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया। मौके पर गिरदावर तथा पटवारी हल्का उपस्थित रहे एवं जैसी रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को प्रेषित की उसी रिपोर्ट को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने अपने पत्र कमांक रीडर/21/182 दिनांक 24–03–2021 के माध्यम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ को प्रेषित कर दी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के खेत खसरा संख्या 78 में आने जाने बाबत कोई कटानी/प्रचलित मार्ग चलन में नहीं होना अंकित किया गया है। जिससे अपीलांट का यह कथन सिद्ध होता है कि अपीलांट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। आगे रिपोर्ट में कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 78 के दक्षिणी पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 152 में से प्रचलित मार्ग गुजरता है जिसका राजस्व रिकोर्ड में अंकन नही है। रिपोर्ट के पैरा 6 में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 78 में आने जाने बाबत श्रीडूंगरगढ से धोलिया पक्की सडक में से रास्ता सुविधा जनक है। जबकि इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिलिखित किया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 152 के प्रचलित रास्ते से जिसे अब राजस्व रिकोर्ड में कटाणी दर्ज किया जा चुका है जिससे फंटकर पश्चिम तरफ प्रार्थी के खेत की पूर्वी सीमा नजदीक दर्शित है। उपरोक्त दोनों विवेचन में प्रार्थी ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ का आदेश दिनांक 05–07–2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10-01-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर